प्रश्न सं. [ क्र. 470 ]

विधानसभा सत्र जुलाई 2022

## अतारांकित प्रश्न क्रमांक–470 के उत्तरांश 'क' की जानकारी का परिशिष्ट–एक

1. संविधान की 11वीं अनुसूची :–

संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आवंटित विषय में अनुक्रमांक 8 पर गौण वन उपज सम्मिलित है।

2. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

4. संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान मण्डल, उक्त भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हो, अर्थात्:–

**(ड)** अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के दौरान, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान–मण्डल यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्रामसभा को विनिर्दिष्ट रूप में निम्नलिखित प्रदान किया जाए:–

**(ii)** गौण वन उपज का स्वामित्व

3. ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006:–

''धारा–2–परिभाषाऐं

(i) **लघु वन उपज (Minor Forest Produce)**–में सम्मिलित है वृक्षों के इमारती भाग को छोड़ समस्त भाग और जिसमें बांस, झाड़ी, ठूंठ, बैत, तुसार, ककून, शहद, मोम, लाख, तेन्दू या केन्दू पत्ता, औषधीय पौधे, छोटे पौधे (Herb) जड़ें, गाँठ (tumer) और उस प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं।

**धारा–3–वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, और अन्य परम्परागत वनों में निवास करने वालों के अधिकार:–**

**(1)** इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर रहने वाली अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय या दोनों को निम्न वन अधिकार होंगे:–

**(c)** ग्राम से या ग्राम के बाहर से वह लघु वन उपज, जो वे परम्परागत रूप संग्रहित करते आ रहे हैं, संग्रहण करने या उस तक पहुंचने या उस पर मालिकाना अधिकार रखने उसको उपयोग में लाने का अधिकार

4. भू–राजस्व संहिता, 1959:–

**धारा 234** में निस्तार पत्रक तैयार करने के संबंध में ग्राम सभा को संकल्प पारित करने पर निस्तार पत्रक की प्रविष्टि में परिवर्तन का अधिकार है।

**धारा 235(ख)(एक)** में लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन या कोई अन्य वनोपज की अधिकतम सीमा एवं शर्तें निर्धारित करने का प्रावधान है।

**धारा 236(ख)** में ग्राम के निवासियों द्वारा उनके वास्तविक घरेलू उपभोग के लिये वनोपज संबंधी उपबंध निस्तार पत्रक में दिये जाने का उल्लेख है।

**धारा 240** में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध संबंधी प्रावधान है।

**धारा 241** में सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय संबंधी प्रावधान हैं।

उपरोक्त प्रावधानों में कहीं भी लघु वनोपज शब्द का उपयोग नहीं किया गया है एवं वे दखल रहित राजस्व भूमि के संबंध में है।

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कार्य–आयोजना एवं वन भू–अभिलेख)
मध्मयप्रदेश, भोपाल

**अनुभाग अधिकारी**
**मध्यप्रदेश शासन**
**वन विभाग ([illegible] 3)**
**मंत्रालय, भोपाल**